भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3909
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- मृदा संरक्षण
3909. श्री रामभुआल निषादः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने सुल्तानपुर जिले में उसर भूमि, जलभराव और मृदा अपरदन की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त जिले में जैविक खेती, बीज ग्राम योजना, जल संरक्षण और फसल अवशेष प्रबंधन जैसी योजनाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और
(घ) सुल्तानपुर जिले में डेयरी, कुक्कुट पालन, बकरी पालन और मत्स्यपालन जैसे संबद्ध कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर जिले में क्षारीय(सोडिक) भूमि, जलभराव और मृदा अपरदन की समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाए गए हैं। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत जिले के लघु एवं सीमांत किसानों के खेतों में मेड़ बांधने और चेक डैम के निर्माण के साथ-साथ भूमि समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। किसानों को सहयोग प्रदान करने और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अगले वर्ष में कृषि विभाग द्वारा इन्हीं खेतों में फसल उत्पादन कार्यकलाप किए जाते हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर जिले में जैविक खेती और बीज ग्राम योजना लागू नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के "प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) घटक के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले सहित पूरे देश में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिले में वर्ष 2015-16 से अब तक 7615 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, सुल्तानपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश में योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए किसानों को 50% की दर से और ग्रामीण उद्यमियों/सहकारी समितियों/एफपीओ को 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 911.03 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

केंद्र प्रायोजित/सेक्टर योजनाओं के माध्यम से सरकार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्यपालन जैसे संबद्ध कृषि क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं को विभिन्न जिलों में विकास योजना के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर जिले में संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गई सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) डेयरी: राज्य सरकार की स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत, किसानों/पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें 40% तक की

सब्सिडी/सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत, किसानों को क्रमशः 25 और 10 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें 50% की दर से सब्सिडी सहायता का प्रावधान है। राज्य सरकार का डेयरी विकास विभाग दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और इंफ्रास्ट्रक्चर के समर्थन जैसे फर्नीचर, दुग्ध परीक्षण उपकरण, पशु चारा, मिनरल मिश्रण, डेटा प्रोसेसिंग और डेयरी प्रसंस्करण एवं संग्रहण इकाइयों (डी.पी.सी.एम.यू.) की स्थापना और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी करता है।

(ii) मुर्गीपालन, बकरीपालन और भेड़पालन: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए, विभाग जिले में अनुसूचित जाति श्रेणी की महिला लाभार्थियों को 425 रुपये मूल्य के 50 चूजे, चारा, दवा और शेल्टर की व्यवस्था के साथ निःशुल्क प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को 5 बकरियां और 1 बकरा खरीदने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें निःशुल्क बीमा और दवा शामिल है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को 20 भेड़ें और 1 मेढ़ा (नर भेड़) खरीदने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें निःशुल्क बीमा और दवा शामिल है।

(iii) मात्स्यिकी: सुल्तानपुर जिले सहित देश भर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्य पालन विकास गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, 306 लाभार्थियों को मत्स्य पालन विकास गतिविधियों जैसे कि बैकयार्ड आरएएस, बायोफ्लॉक तालाब, तालाब निर्माण, लघु एवं मध्यम आरएएस इकाइयों, लघु एवं मध्यम फ़ीड मिलों और साइकिल/मोटरसाइकिल/थ्री-व्हीलर (आइस बॉक्स सहित) के माध्यम से परिवहन सहायता के लिए 258.69 लाख रुपये की सब्सिडी सहायता दी गई है।
